



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 2016/आश्विन 11, 1938

No. 697]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2016/ASVINA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 938(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत बैंक स्कीम नियमावली, 2004 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियमावली, 2016 कहलाएंगे।
(2) इन्हें 1 अक्टूबर, 2016 से लागू माना जाएगा।
2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2004 में नियम 7 में, उप-नियम (1) में, पांचवें परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"यह व्यवस्था की गई है कि 1 अक्टूबर, 2016 को या उसके बाद इन नियमों के अंतर्गत जमा की गई राशि के मामले में, यह राशि, जमा कराई गई राशि की तारीख से 8.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर वहनीय होगी।"

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारत के राजपत्र असाधारण में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2004 तारीख 2 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 490(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें तारीख 27 अक्टूबर, 2004 की

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706 (अ), तारीख 23 मार्च, 2006 के सा.का.नि 176(अ), तारीख 24 मई, 2007 के सा.का.नि. 390(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010 के सा.का.नि. 639(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2011 के सा.का.नि. 770(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 के सा.का.नि. 321(अ), तारीख 25 जून, 2013 के सा.का.नि 402(अ), तारीख 13 मार्च, 2014 के सा.का.नि. 224 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 के सा.का.नि. 492(अ), तारीख 27 जुलाई, 2015 के सा.का.नि. 592 (अ) और तारीख 29 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 351(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 938(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.
2. In the Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004, in rule 7, in sub-rule (1), after the fifth proviso, following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that in the case of a deposit made under these rules on or after the 1st day of October, 2016, it shall bear at the rate of 8.5 per cent. per annum from the date of deposit.”

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G. S. R. 490(E), dated the 2nd August , 2004 and subsequently amended vide numbers G. S. R. 706(E), dated the 27th October, 2004, G.S.R. 176(E), dated the 23rd March, 2006, G.S.R. 390(E), dated the 24th May 2007,G.S.R. 639 (E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R. 321(E), dated the 25th April 2012, G.S.R. 402 (E), dated the 25th June 2013, G.S.R.224 (E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 492 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 592 (E) dated the 27th July, 2015 and G.S.R. 351 (E), dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 939(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुकन्या समृद्धि खाता नियमावली, 2014 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- (i) इन नियमों को सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) नियमावली कहा जाएगा।
- (ii) इन्हें 1 अक्टूबर, 2016 को लागू माना जाएगा।
2. सुकन्या समृद्धि खाता नियमावली, 2014 में, नियम 7 के उप-नियम- (1) में दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा; अर्थातः-

"परंतु यह कि 1 अक्टूबर, 2016 को या उसके बाद इन नियमों के अंतर्गत यदि कोई राशि जमा कराई जाती है तो उस राशि पर जमा की तारीख से 8.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लगेगा।"

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारत के राजपत्र (असाधारण) में सुकन्या समृद्धि खाता नियमावली, 2014, तारीख 2 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 863(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें बाद में तारीख 27 जुलाई, 2015 के सा.का.नि. 593(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 323(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 352(अ) द्वारा संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 939(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014.

1. (1) These rules may be called the Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.
2. In the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014, in rule 7, in sub-rule (1), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of a deposit made under these rules on or after the 1st day of October, 2016, it shall bear at the rate of 8.5 per cent. per annum from the date of deposit."

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014 were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide notification number G.S.R. 863(E), dated the 2nd December, 2014 and subsequently amended vide G.S.R. 593(E), dated the 27th July, 2015, G.S.R. 323(E), dated 18th March, 2016 and G.S.R. 352 (E), dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 940(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 5 के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निधि में 1 अक्टूबर, 2016 को या इसके बाद किए गए अभिदान और अभिदानकर्ताओं की जमाराशि में शेष पर 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान योजना सा.का.नि. 1136 (अ) तारीख 15 जून, 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात सा.का.नि 368(अ), तारीख 1 अगस्त, 1972, सा.का.नि 217(अ), तारीख 9 मार्च, 1979, सा.का.नि 271(अ), तारीख 16 मार्च, 1983, सा.का.नि 54(अ), तारीख 7 फरवरी, 1984, सा.का.नि 895(अ), तारीख 23 जून, 1986, सा.का.नि 1013(अ), तारीख 20 अगस्त, 1986, सा.का.नि 793(अ), तारीख 29 अगस्त, 1989, सा.का.नि 477(अ), तारीख 25 मई, 1994, सा.का.नि 489(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि 908(अ), तारीख 6 दिसंबर,

2000, सा.का.नि 768(अ), तारीख 15 नवंबर, 2002, सा.का.नि 585(अ), तारीख 15 जुलाई, 2003, सा.का.नि 690(अ), तारीख 27 अगस्त, 2003, सा.का.नि 755(अ), तारीख 19 नवंबर, 2004, सा.का.नि 291(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि 956(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2010, सा.का.नि 844(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि 225(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि 496(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि 588(अ), तारीख 13 अगस्त, 2014 और तारीख 29 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 350(अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 940(E).—In pursuance of section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby notifies that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of October, 2016 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.0 per cent. per annum.

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Scheme was notified vide G.S.R. 1136(E), dated the 15th June, 1968 and subsequently amended vide G.S.R. 368(E), dated the 1st August, 1972, G.S.R. 217(E), dated the 9th March, 1979, G.S.R. 271(E), dated the 16th March, 1983, G.S.R. 54(E), dated the 7th February, 1984, G.S.R. 895(E), dated the 23rd June, 1986 G.S.R. 1013(E), dated the 20th August, 1986, G.S.R. 793(E), dated the 29th August, 1989 G.S.R. 477(E), dated the 25th May, 1994, G.S.R. 489(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 908(E), dated the 6th December, 2000, G.S.R. 679(E), dated the 4th October, 2002, G.S.R. 768(E), dated the 15th November, 2002, G.S.R. 585(E), dated the 15th July, 2003, G.S.R. 690(E), dated the 27th August, 2003, G.S.R. 755(E), dated the 19th November, 2004, G.S.R. 291(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 956(E), dated the 7th December, 2010, G.S.R. 844(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 225(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 496 (E), dated the 11th July, 2014, G.S.R. 588(E), dated the 13th August, 2014 and G.S.R. 350 (E) dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 941(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियमावली, 1981 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियमावली 2016 कहलाए जाएंगे।

(2) इन्हें 1 अक्टूबर, 2016 से लागू माना जाएगा।

2. डाकघर सावधि जमा नियमावली, 1981 में, नियम 7 में,

(क) शीर्षक सारणी-वी के अंतर्गत, कोष्ठकों आंकड़ों, शब्दों आंकड़ों और अक्षरों के लिए "[1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद जमा कराई गई राशि के लिए], कोष्ठक, शब्द, आंकड़ों और अक्षरों "[1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद लेकिन 01 अक्टूबर, 2016 से पहले जमा कराई गई राशि के लिए प्रतिस्थापित किए जाएंगे]"

(ख) सारणी-वी के बाद निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी अर्थातः-

"सारणी-डब्ल्यू"

जमा की अवधि	वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर
1 वर्षीय	7.0
2 वर्षीय	7.1
3 वर्षीय	7.3
5 वर्षीय	7.8

(ग) नोट में पैराग्राफ (2) में शब्द और अक्षर "सारणी-V" के स्थान पर शब्द और अक्षर सारणी वी अथवा सारणी "डब्ल्यू" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम सा.का.नि. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा.का.नि. 300(अ), तारीख पहली अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 257(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 502(अ), तारीख 9 जुलाई, 1984, सा.का.नि. 418(अ), तारीख 10 मई, 1985, सा.का.नि. 193(अ), तारीख 12 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 362(अ), तारीख पहली अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 1005(अ), तारीख 23 दिसंबर, 1987, सा.का.नि. 353(अ), तारीख 18 मार्च, 1988, सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 191(अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 580(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 727(अ), तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि. 431(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 586(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 43(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 174(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 589(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 286(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 479(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 846(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 400 (अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 222(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 490 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 और सा.का.नि. 356 (अ) तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 941(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.

2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981,in rule 7,-

- (A) under the heading Table-V, for the brackets, words, figures and letters “(For deposits made on or after the 1st April, 2016)”, the brackets words, figures and letters, “(For deposits made on or after the 1st day of April, 2016 but before the 1st day of October, 2016)” shall be substituted;
- (B) after Table-V, the following Table shall be inserted, namely:-

“Table-W”

[For deposits made on or after the 1st October, 2016]

Period of deposit	Rate of Interest per cent. per annum
1 year	7.0
2 years	7.1
3 years	7.3
5 years	7.8

- (C) in the Notes, in paragraph (2), for the word and letter “Table V”, the words and letters “Table V or Table W” shall be substituted.

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published *vide* G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide* G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, G.S.R. 193(E), dated the 12th February, 1986, G.S.R. 362(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 191(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 43(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 151(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 174(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 589(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 479(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 742(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 846(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 323(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 400 (E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 222(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 490 (E), dated the 11th July, 2014 and G.S.R. 356 (E) dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 942(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर (मासिक आय खाता) नियमावली, 1987 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों को डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) वे 1 अक्टूबर, 2016 से प्रवृत्त माने जाएंगे।
2. डाकघर (मासिक आय खाता) नियमावली, 1987 में नियम 8 में उप-नियम (1) में धारा (३) के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी; अर्थातः—
(३) 1 अक्टूबर, 2016 को या इसके बाद जमा की गई राशि के संबंध में प्रति वर्ष 7.7 प्रतिशत ब्याज लगेगा।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम सा.का.नि. 701(अ) तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि 805(अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि 46(अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि 581(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि 390(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि 585(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि 45(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2000, सा.का.नि 613(अ), तारीख 18 जुलाई, 2000, सा.का.नि 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि 161(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि 350(अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि 176(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि 758(अ), तारीख 23 सितंबर, 2003, सा.का.नि 288(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि 59(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006, सा.का.नि 521(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007, सा.का.नि 763(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2007, सा.का.नि 741(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011 सा.का.नि. 845(अ) तारीख 25 नवंबर, 2011, तारीख 25 अप्रैल, 2012 के सा.का.नि 322(अ), 25 जून, 2013 के सा.का.नि. 399(अ), तारीख 13 मार्च 2014 के सा.का.नि 223(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 के सा.का.नि 490 (अ) और तारीख 29 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 349 (अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 942(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2016.
 (2) They shall deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.
 2. In the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, in rule 8, in sub-rule (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:
- “(n) 7.7 per cent.per annum in respect of deposits made on or after the 1stday of October, 2016.”

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide G. S. R. 701(E), dated the 10th August, 1987, and subsequently amended vide: - G.S.R. 805(E), dated the 21st July, 1988, G.S.R. 46(E), dated the 20th January, 1989, G.S.R. 581(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 430(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 390(E), dated the 29th April, 1993, G.S.R. 585(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 45(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2000, G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000, G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 350(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 758(E), dated the 23rd September, 2003, G.S.R. 288(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 59(E), dated the 10th February, 2006, G.S.R. 521(E), dated the 1st August, 2007, G.S.R. 763(E) dated the 8th December, 2007 and G.S.R. 741(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 845(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 322(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 399(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 223(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 490 (E), dated the 11th July, 2014 and G.S.R. 349(E), dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 943(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर आवर्ती जमा नियमावली, 1981 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

- (i) इन नियमों को डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियमावली, 2016 के नाम से जाना जाएगा।
- (ii) इन्हें 1 अक्टूबर, 2016 को लागू माना जाएगा।
2. डाकघर आवर्ती जमा नियमावली, 1981 (इसमें इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 9 में-
- (क) उप-नियम 1 के खण्ड (क) के तहत अनुसूची में, पिछली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-
- | | |
|---|--------------|
| “ 1.4.16 से 30.9.2016 (दोनों तारीखें समावेशी) |726.97 |
| 1.10.2016 से |725.05”. |
- (ख) उप-नियम (2) के खण्ड (क) के तहत अनुसूची में, पिछली प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-
- | | |
|---|---------------|
| “ 1.4.16 से 30.9.2016 (दोनों तारीखें समावेशी) | 726.97 |
| 1.10.2016 से | 725.05”. |
3. उक्त नियमावली के नियम 10 में, उप-नियम (2) में मद (क) और (ग) में, शब्द और अंक “सारणी 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53 or 56”, के लिए शब्द और अंक “सारणी 1, 2, 11, 13 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44,47, 50, 53, 56 अथवा 59” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमावली के नियम 11 में, उप-नियम (2) में मद (क) और (ग) में, शब्द और अंक “सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, or 54 के लिए शब्द और अंक “सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 अथवा 60” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमावली के नियम 12 में,-
- (a) उप-नियम 1 में, मद (ख) में, उप मद (ii) में, शब्द और अंक “सारणी 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55 अथवा 58 के लिए “सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 अथवा 61” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (b) उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में, शब्द और अंक “सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 अथवा 55”, के लिए “सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 अथवा 61” अंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमावली की सारणी 58 के बाद, निम्नलिखित सारणियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, नामत:

सारणी 59

(नियम 10 देखें)

1 अक्टूबर, 2016 को अथवा उसके बाद खोले गए खाते और मासिक जमा राशियों पर, परिपक्वता अवधि से आगे अथवा नियम 7 के उप-नियम (1) के तहत यथाविस्तारित परिपक्वता अवधि के साथ सतत देय राशि, ब्याज सहित।

पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनमें खाते चालू रहे	10 रुपए के मूल्यवर्ग के खाते पर देय राशि (रुपए)
एक वर्ष	904.27
दो वर्ष	1096.93

तीन वर्ष	1304.05
चार वर्ष	1526.71
पांच वर्ष	1766.07

टिप्पणी : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर देय राशि ऊपर निर्दिष्ट राशि के आनुपातिक होगी।

सारणी 60

(नियम 11 देखें)

1 अक्टूबर, 2016 को अथवा उसके बाद खोले गए खाते और मासिक जमा राशियों पर, परिपक्वता अवधि से आगे अथवा नियम 7 के उप-नियम (1) के तहत यथाविस्तारित परिपक्वता अवधि के साथ सतत देय राशि, ब्याज सहित

पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनमें खाते चालू रहे	10 रुपए के मूल्यवर्ग के खाते पर देय राशि (रुपए)
एक वर्ष	779.45
दो वर्ष	837.92
तीन वर्ष	900.79
चार वर्ष	968.37
पांच वर्ष	1041.02

टिप्पणी : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर देय राशि ऊपर निर्दिष्ट राशि के आनुपातिक होगी।

सारणी 61

(नियम 12 देखें)

1 अक्टूबर, 2016 को अथवा उसके बाद खोले गए पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाते पर जमाकर्ता की मृत्यु पर वैध उत्तराधाकारी अथवा नामिती को देय राशि

जमाराशियों की संख्या	10 रुपए के मूल्यवर्ग की राशि (रु.)	जमाराशियों की संख्या	10 रुपए के मूल्यवर्ग की राशि (रु.)
1 से 11	की गई जमाराशियां	36	403.26
12	124.82	37	415.76
13	135.64	38	428.34
14	146.52	39	440.99
15	157.46	40	453.71
16	168.48	41	466.52
17	179.56	42	479.40
18	190.70	43	492.36
19	201.92	44	505.40
20	213.20	45	518.51
21	224.55	46	531.71
22	235.97	47	544.98
23	247.45	48	558.34

जमाराशियों की संख्या	10 रुपए के मूल्यवर्ग की राशि (रु.)	जमाराशियों की संख्या	10 रुपए के मूल्यवर्ग की राशि (रु.)
24	259.01	49	571.78
25	270.64	50	585.29
26	282.33	51	598.89
27	294.10	52	612.58
28	305.94	53	626.34
29	317.85	54	640.19
30	329.83	55	654.12
31	341.89	56	668.14
32	354.02	57	682.24
33	366.22	58	696.42
34	378.49	59	710.69
35	390.84	60	725.05

टिप्पणी : अन्य मूल्यवर्गों के लिए जमाराशियां आनुपातिक होंगी।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियमावली सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 1981, को प्रकाशित की गई थी और तदुपरांत सा.का.नि 301(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 258(अ), दिनांक 11 मार्च, 1983, सा.का.नि 62(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1984, सा.का.नि. 95(अ), दिनांक 7 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 194(अ), दिनांक 13 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 363(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 39(अ), दिनांक 16 जनवरी, 1988, सा.का.नि. 458(अ), दिनांक 15 अप्रैल, 1988, सा.का.नि. 708(अ), दिनांक 21 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 16(अ), दिनांक 9 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 190(अ), दिनांक 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 579(अ), दिनांक 12 सितम्बर, 1991, सा.का.नि. 918(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 1992, सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1993, सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1993, सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1999, सा.का.नि. 44(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 160(अ) दिनांक 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2002, सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2002, सा.का.नि 175(अ), दिनांक 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2004, सा.का.नि. 480(अ), दिनांक 26 जून, 2008, सा.का.नि. 740(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 843(अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2011, सा.का.नि. 320(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 398(अ), दिनांक 25 जून, 2013, सा.का.नि. 221(अ), दिनांक 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2014 सा.का.नि. 355(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 943(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.
2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9,—
 - (a) in the Schedule under clause (a) of sub-rule 1, for the last entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“From 1.4.16 to 30.9.2016 (both dates inclusive) 726.97
From 1.10.2016 onwards 725.05”.
 - (b) in the schedule under clause (a) of sub-rule (2), for the last entry, the following entries shall be substituted, namely:-

“From 1.4.16 to 30.9.2016 (both dates inclusive) 726.97
From 1.10.2016 onwards 725.05”.
3. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (2), in items (a) and (c), for the words and figures “Tables 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53 or 56”, the figures and words “Tables 1, 2, 11, 13 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56 or 59” shall be substituted.
4. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2), in items (b) and (c), for the words and figures “Tables 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, or 54”, the words and figures “Tables 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 or 60” shall be substituted.
5. In rule 12 of the said rules,-
 - (a) in sub-rule (1), in item (b), in sub-item (ii), for the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 ,46, 49, 52, 55 or 58”, the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 or 61” shall be substituted.
 - (b) in sub-rule (3) and sub-rule (4), for the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, or 55”, the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 or 61” shall be substituted.
6. After Table 58 of the said rules, the following Tables shall be inserted, namely:—

TABLE 59

(See Rule 10)

Amount, inclusive of interest, payable on an account opened on or after the 1st day of October, 2016 and continued, with monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One year	904.27
Two years	1096.93
Three years	1304.05
Four years	1526.71
Five years	1766.07

Note : The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

TABLE 60

(See Rule 11)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after the 1st day of October, 2016 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One year	779.45
Two years	837.92
Three years	900.79
Four years	968.37
Five years	1041.02

Note: The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

TABLE 61

(See Rule 12)

Amount, payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a Five Year Recurring Deposit Account opened on or after the 1st day of October, 2016.

Number of deposits made	Amount (Rupee) for denomination of Rs.10	No. of deposits made	Amount (Rupees) for denomination of Rs.10
1 to 11	Deposits made	36	403.26
12	124.82	37	415.76
13	135.64	38	428.34
14	146.52	39	440.99
15	157.46	40	453.71
16	168.48	41	466.52
17	179.56	42	479.40
18	190.70	43	492.36
19	201.92	44	505.40
20	213.20	45	518.51
21	224.55	46	531.71
22	235.97	47	544.98
23	247.45	48	558.34
24	259.01	49	571.78
25	270.64	50	585.29
26	282.33	51	598.89
27	294.10	52	612.58
28	305.94	53	626.34
29	317.85	54	640.19
30	329.83	55	654.12
31	341.89	56	668.14
32	354.02	57	682.24
33	366.22	58	696.42
34	378.49	59	710.69
35	390.84	60	725.05

Note : The amounts shall be proportionate for other denominations.

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide G.S.R. 666(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide G.S.R. 301(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 258(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 62(E), dated the 14th February, 1984, G.S.R. 95(E), dated the 7th February, 1986, G.S.R. 194(E), dated the 13th February, 1986, G.S.R. 363(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 1988, G.S.R. 458(E), dated the 15th April, 1988, G.S.R. 708(E), dated the 21st July, 1989, G.S.R. 16(E), dated the 9th January, 1990, G.S.R. 190(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 579(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 918(E), dated the 11th December, 1992, G.S.R. 42(E), dated the 1st February, 1993, G.S.R. 587(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 748(E), dated the 4th November, 1999, G.S.R. 44(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 160(E) dated the 1st March, 2002, G.S.R. 514(E), dated the 23rd July, 2002, G.S.R. 662(E), dated the 23rd September, 2002, G.S.R. 175(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 588(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 838 (E), dated the 27th December, 2004, G.S.R. 480(E), dated the 26th June, 2008 and G.S.R. 740(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 843(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 320 (E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 398 (E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 221 (E), dated 13th March, 2014, G.S.R. 491 (E), dated the 11th July, 2014 and G.S.R. 355(E), dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 944(अ).—सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियमावली, 1989 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इस नियमावली को राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) (संशोधन नियमावली), 2016 कहा जाएगा।
 (2) इन्हें 1 अक्टूबर, 2016 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियमावली, 1989 (इसके बाद इसे उक्त नियमावली कहा जाएगा) में, नियम 15 में -
 (क) उप-नियम (6ज) में आंकड़े, अक्षर और शब्द “1 अप्रैल, 2016” के बाद, “1 अप्रैल, 2016 लेकिन 1 अक्टूबर, 2016 से पहले” के शब्द, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 (ख) उप-नियम (6ज) के बाद और उससे संबंधित सारणी के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,
 (6च) जहां कोई पत्र 1 अक्टूबर, 2016 को या उसके बाद खरीदा गया है, किसी भी मूल्यवर्ग के पत्र की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की होगी,जो पत्र जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होगी। व्याज सहित यह राशि इसकी परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद कभी भी इस पत्र के नकदीकरण के समय 100 रुपए के मूल्यवर्ग पर 146.93 रुपए देय होगी तथा यह किसी भी अन्य मूल्यवर्ग के समानुपातिक दर पर होगी। पत्र धारक या धारकों को वर्ष की समाप्ति पर नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट व्याज मिलेगा और प्रत्येक वर्ष के अंत से चौथे वर्ष के अंत तक उपार्जित व्याज धारक द्वारा पुनर्निवेशित माना जाएगा और यह पत्र के अंकित मूल्य की राशि में जोड़ा जाएगा।

सारणी

वह वर्ष जिसमें व्याज उपार्जित होगा	100 रुपए के मूल्यवर्गित पत्रों पर उपार्जित व्याज की राशि (रुपए)
पहला वर्ष	8.0
दूसरा वर्ष	8.64
तीसरा वर्ष	9.33
चौथा वर्ष	10.08
पांचवां वर्ष	10.88

टिप्पणी : किसी अन्य मूल्यवर्ग के पत्र पर उपार्जित व्याज की राशि उपर्युक्त सारणी में निर्दिष्ट राशि के समानुपातिक होगी।

3. उक्त नियमावली के नियम 16 में, उप-नियम (4) में -

- (क) खंड (IX) में आंकड़े, अक्षर और शब्द “1 अप्रैल, 2016” के स्थान पर,“1 अप्रैल, 2016 लेकिन 1 अक्टूबर, 2016 से पहले” के शब्द, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) खंड (IX) के बाद और उससे संबंधित सारणी के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

(x) यदि 1 अक्टूबर, 2016 को या उसके बाद खरीदे गए पत्र की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उप-नियम (1) के अंतर्गत पत्र को भुनाया जाता है, तो देय राशि नियम 15 के अंतर्गत उपार्जित व्याज राशि सहित और छूट को

समायोजित करने के बाद, 100 रुपए के मूल्य वर्ग के पत्र हेतु नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट राशि के रूप में होगी और यह किसी अन्य मूल्यवर्ग के पत्र के लिए समानुपातिक होगी।

सारणी

प्रमाणपत्र की तारीख से इसके नकदीकरण तक की अवधि	ब्याज सहित देय राशि (रुपए में)
(1)	(2)
3 वर्ष अथवा इससे अधिक, किंतु 3 वर्ष और 6 मास से कम	122.50
3 वर्ष और 6 मास अथवा इससे अधिक, किंतु 4 वर्ष से कम	126.72
4 वर्ष अथवा इससे अधिक, किंतु 4 वर्ष और 6 मास से कम	131.08
4 वर्ष और 6 मास अथवा इससे अधिक, किंतु 5 वर्ष से कम	135.59

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011 और सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2013, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013, सा.का.नि. 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा.का.नि. 494 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 और सा.का.नि. 354(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 944(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment Rules), 2016.
- (2) They shall deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.
2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15,-
 - (a) in sub-rule (6E), after the figures, letters and words “1st day of April, 2016”, the words, figures and letters “ 1st day of April, 2016 but before the 1st day of October, 2016,” shall be substituted;
 - (b) after sub-rule (6E) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
- “(6F) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of October, 2016 the maturity period of a certificate of any denomination, shall be five years, commencing from the date of issue of the certificate. The

amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs. 146.93 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
First Year	8.0
Second Year	8.64
Third Year	9.33
Fourth Year	10.08
Fifth Year	10.88

Note : The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above”.

3. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (4),-
 - (a) in clause (ix), for the figures, letters and words “1st day of April, 2016”, the words, figures and letters “1st day of April, 2016 but before the 1st day of October, 2016” shall be substituted;
 - (b) after clause (ix) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
- “(x) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate purchased on or after the 1st day of October 2016, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment (1)	Amount payable inclusive of interest (Rupees) (2)
Three years or more, but less than three years and six months	122.50
Three years and six months or more, but less than four years	126.72
Four years or more, but less than four years and six months	131.08
Four years and six months or more, but less than five years	135.59

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide: G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 842(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013, G.S.R. 397(E), dated the 25th June, 2013, G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014, G.S.R. 494(E), dated the 11th July, 2014 and G.S.R. 354(E), dated the 29th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 945(अ).—सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1956 (1956 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा किसान विकास पत्र नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस नियमावली को किसान विकास पत्र (संशोधन नियमावली), 2016 कहा जाएगा।
 (2) उन्हें 1 अक्टूबर, 2016 से प्रवृत्त माना जाएगा।
2. किसान विकास पत्र नियमावली, 2014 (इसके बाद इसे उक्त नियमावली कहा जाएगा), में, नियम 16 के उप-नियम (1) में शब्द नौ वर्ष और दो माह को शब्द नौ वर्ष और चार माह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त नियमावली में, नियम 17 में, उप-नियम (3) में 1.10.2016 को या 31.12.2016 को खरीदे गए प्रमाणपत्रों के परिपक्वता पूर्व नकदीकरण मूल्य निम्नानुसार होगे:-

सारणी

प्रमाणपत्र की तारीख से इसके नकदीकरण तक की अवधि	ब्याज सहित देय राशि (रुपए में)
(1)	(2)
2 वर्ष और 6 मास, किंतु 3 वर्ष से कम	1176
3 वर्ष किंतु 3 वर्ष और 6 मास से कम	1215
3 वर्ष और 6 मास किंतु 4 वर्ष से कम	1255
4 वर्ष किंतु 4 वर्ष और 6 मास से कम	1296
4 वर्ष और 6 मास किंतु 5 वर्ष से कम	1339
5 वर्ष किंतु 5 वर्ष और 6 मास से कम	1383
5 वर्ष और 6 मास किंतु 6 वर्ष से कम	1429
6 वर्ष किंतु 6 वर्ष और 6 मास से कम	1476
6 वर्ष और 6 मास किंतु 7 वर्ष से कम	1524
7 वर्ष किंतु 7 वर्ष और 6 मास से कम	1575
7 वर्ष और 6 मास किंतु 8 वर्ष से कम	1626
8 वर्ष किंतु 8 वर्ष और 6 मास से कम	1680
8 वर्ष और 6 मास किंतु 9 वर्ष से कम	1735
9 वर्ष किंतु पत्र की परिपक्वता से पहले	1793
पत्र की परिपक्वता पर	2000

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली तारीख 23 सितंबर, 2014 के सा.का.नि 705(अ) द्वारा प्रकाशित की गई और बाद में इसमें तारीख 21 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 330(अ) और तारीख 29 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 353(अ) द्वारा संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

G.S.R. 945(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Kisan Vikas Patra Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Kisan Vikas Patra (Amendment Rules), 2016.
- (2) They shall deemed to have come into force on the 1st day of October, 2016.
2. In the Kisan Vikas Patra Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 16, in sub-rule (1), for the words nine years and two months, the words nine years and four months shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (3), the premature encashment value of Certificates purchased on or after 1.10.2016 but on or before 31.12.2016 shall be:-

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1176
Three years but less than three and half years	1215
Three and half years but less than four years	1255
Four years but less than four and half years	1296
Four and half years but less than five years	1339
Five years but less than five and half years	1383
Five and half years but less than six years	1429
Six years but less than six and half years	1476
Six and half years but less than seven years	1524
Seven years but less than seven and half years	1575
Seven and half years but less than eight years	1626
Eight years but less than eight and half years	1680
Eight and half years but less than nine years	1735
Nine years but before the maturity of Certificate	1793
On maturity of certificate	2000

[F. No. 1/04/2016-NS-II]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 705(E), dated the 23rd September, 2014 and subsequently amended vide: G.S.R. 330(E), dated the 21st March, 2016 and G.S.R. 353(E), dated the 29th March, 2016.